कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्‌वारा अगस्त, २०१७ माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

1. सहायक सचिवों (2015 बैच के आईएएस अधिकारी) का पारस्परिक संवाद-सत्र दिनांक 18.08.2017 को सीएसओआई, विनय मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। श्री अमिताभ कांत, सीईओ, नीति आयोग, श्री एस.के. पात्रो, ई-ऑफिस परियोजना प्रभाग, एनआईसी ओर डॉ. अरविन्द पनगढिया, उपाध्यक्ष नीति आयोग द्‌वारा प्रस्तुतीकरण दिए गए। प्रस्तुतीकरण के विषय थे: रोजगार सृजन के चुनिंदा अप्रत्यक्ष उपायों का विश्लेषण, ई-ऑफिस की विशेषताएं और अच्छा रोजगार सृजन करना। इस शाम सहायक सचिवों ने सद्भावना दिवस की शपथ भी ली।

2. सहायक सचिवों (2015 बैच के आईएएस अधिकारी) का पारस्पारिक संवाद-सत्र दिनांक 04.08.2017 को सीएसओआई, विनय मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। विज्ञान एवं प्रौद्‌योगिकी विभाग एवं 'इसरो' (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) के विशेषज्ञों द्‌वारा विभिन्न उपलब्धियों/अवसरों/आगे की चुनौतियों पर प्रस्तुतीकरण दिये गये। पीपीपी (सार्वजनिक निजी साझेदारी) मॉडल और उसके विभिन्न पक्षों के संबंध में शहरी विकास मंत्रालय के विशेषज्ञों द्‌वारा भी प्रस्तुतीकरण दिया गया। सत्र के दौरान कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव और वरिष्ठ आधिकारी भी मौजूद थे।

3. भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर राज्यमंत्री (कार्मिक) ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में नए भारत आंदोलन के लिए शपथ दिलाई। इस अवसर पर श्री देवेश चर्तुवेदी, संयुक्त सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और श्री अक्षय राउत, पेयजलय एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्‌वारा शुरू किए गए क्रमश: भ्रष्टाचार रोधी उपायों और 'स्वच्छ भारत' पर प्रस्तुतीकरण दिये।

4. मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति (एसीसी) ने अब यह निदेश दिया है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.07.2009 के का.ज्ञा. सं. 27/2/2009-ईओ(एसएम-।।) में निहित प्रावधानों को मंत्रालय/विभाग में संवर्ग बाह्य पदों सहित संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के केंद्रीय सचिवालय सेवा से इतर सभी पदों पर लागू किया जाए जिससे एसीसी के क्षेत्राधिकार में आने वाले केंद्रीय सचिवालय से इतर सभी पदों के संबंध में एकरूपता लाई जा सके। इस विभाग के 22 अगस्त, 2017 के का.ज्ञा. सं. 9/23/2014-ईओ(एसएम-।।) के तहत आदेश जारी किया गया है।

5. भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ के स्मरणोत्सव पर इस विभाग के दिनांक 4 अगस्त, 2017 के का.ज्ञा. सं. आई 28011/23/2015-समन्वय (भाग-।।) के तहत अनुदेश जारी किए गए हैं।

6. दिनांक 08.08.2017 की अधिसूचना के तहत आईपीएस (उत्तराखंड) की संवर्ग-समीक्षा।

7. दिनांक 08.08.2017 की अधिसूचना के तहत आईएफएस (तमिलनाडु) की संवर्ग-समीक्षा।

8. दिनांक 18.08.2017 की अधिसूचना के तहत आईएफएस (सिक्किम) की संवर्ग-समीक्षा।

9. सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के समूह 'ग' श्रेणी और पूर्ववर्ती 'घ' श्रेणी के कर्मचारियों, जिन्हें वर्दी प्रदान की जाती है और जिनके लिए उसे नियमित रूप से पहनना आवश्यक है, को वर्दी भत्ता/धुलाई भत्ता/सिलाई प्रभार/जूता (शू) भत्ता इत्यादि की देयता के संबंध में मौजूदा आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उन्हें 5000/- रु. प्रति वर्ष की दर से वर्दी भत्ते का भुगतान किया जाएगा। इस विभाग के दिनांक 31 अगस्त, 2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14/4/2015-जेसीए2 के तहत आदेश जारी किया गया।

10. नि:शक्त महिला कर्मचारियों, विशेषकर जब उनके बच्चे छोटे हों और बच्चे नि:शक्त हों, को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने हेतु सातवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप दिनांक 16 अगस्त, 2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए 27012/02/2017 -स्थापना(एएल) के तहत अनुदेश जारी किए गए हैं।

11. डेस्क भत्ता समाप्त करने के संबंध में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप इस विभाग के दिनांक 16.08.2017 के का.ज्ञा. सं. ए-27023/01/2017-स्था(एएल) के तहत अनुदेश जारी किए गए।

12. बाल शिक्षा भत्ता योजना के संबंध में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप इस विभाग के दिनांक 16 अगस्त, 2017 के का.ज्ञा.सं. 27012/02/2017-स्था(एएल) के तहत अनुदेश जारी किए गए। यह उल्लेख किया जाता है कि डेस्क भत्ता समाप्त कर दिया गया है।

13. मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति (एसीसी) ने 'क' और 'ख' सूची के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों (सीपीएसई) में 05 मामलों में नियुक्तियों का अनुमोदन कर दिया है। इसके अलावा, मंत्रिमंडल सचिव/एसीसी द्वारा विभिन्न अधिकरणों/सांविधिक निकायों/प्राधिकरणों/आयोगों में अध्यक्षों/सदस्यों की उन्नतीस (29) नियुक्तियों, स्वायत्त निकायों में मुख्य कार्यकारियों की तीन (03) नियुक्तियों, समयपूर्व प्रत्यावर्तन के तीन (03) प्रस्तावों, मंत्रियों के निजी सचिवों की नियुक्ति

के दो (02) प्रस्तावों, मंत्रियों के विशेष कार्य अधिकारी की नियुक्ति के दो (02) प्रस्तावों, समय-विस्तार के चार (04) प्रस्तावों, कार्यकाल कम करने के एक (01) प्रस्ताव, तथा नियुक्ति (गैर-सीएसएस) के एक (01) प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इसके अलावा, पांच (05) अधिकारियों को सीवीओ के रूप में नियुक्त किया गया है तथा पंद्रह (15) अधिकारियों को केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत बनाए रखा गया है।

14. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 21.08.2017 के का.ज्ञा. सं. 31011/5/2014 स्था.(ए-IV) के तहत यह स्पष्ट किया है कि प्राधिकृत यात्रा एजेंटों जैसे मेसर्स बामर एंड लॉरी कंपनी; मेसर्स अशोक ट्रेवेल्स ऐंड टूअर्स' और 'आईआरसीटीसी' द्वारा विमान टिकटों को बुक करने की शर्त पर उन मामलों में जोर नहीं दिया जाएगा जहां विमान के लिए गैर-हकदार सरकारी कर्मचारी एलटीसी पर विमान द्वारा यात्रा करते हैं और उतने रेल किराए मांग करते है, जितने की उनकी हकदारी है ।

15. केंद्रीय सिविल सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदकों को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी प्रस्ताव (ऑफर) की वैधता अवधि से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु दिनांक 09.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1259494-स्था.(घ) के तहत अनुदेश जारी किए गए।

16. स्वतंत्राता दिवस समारोह 2017 के अवसर पर भोज कार्यक्रम के संबंध में राष्ट्रपति भवन के आस-पास के कार्यालयों/भवनों के बंद रहने के संबंध में दिनांक 14.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12/10/2016-जेसीए2 के तहत अनुदेश जारी किए गए।

17. 04 सीएसएस-सीटीपी (एल-एफ, एल-ई, एल-डी और एलए) सहित आईएसटीएम में कुल 34 कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या 1075 थी।

18. आईएसटीएम, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 18.08.2047 को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर एक दिन का प्रबोधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

19. रेड क्रास सोसाइटी, नई दिल्ली के सहयोग से निर्माण भवन, नई दिल्ली में दिनांक 23.08.2017 को रक्तदान शिविर लगाया गया जिसमें 122 कर्मचारियों ने रक्तदान किया।